राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(6)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2013 जयपुर, दिनांक: 02/08/2017

संशोधित आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पात्रता सूचियों में सम्मिलित करने एवं अपात्र व्यक्तियों को निष्कासित करने के सबंध में विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2015 को जारी अपीलीय आदेश में आंशिक करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त उपखण्ड अधिकारी के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी को भी पदाभिहीत किया जाता है।

साथ ही आदेश दिनांक 05.11.2015 में अंकित "ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की वार्ड सभा/ग्राम सभा में अनुमोदन" को विलोपित किया जाता है।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

02.08.2017

(आकाश तोमर)
उपायुक्त (द्वितीय)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
7. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईटर का अपलोड करने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (द्वितीय)

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013 जयपुर, दिनांक 05.11.2015

आदेश

राज्य में 02 अक्टूबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है। दिनांक 15.07.2014 को पुनर्गठित टास्क फोर्स कमेटी द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में दिनांक 19.08.2014 को संशोधित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्रता धारकों की शुद्धिकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन एवं पात्र व्यक्तियों के समावेशन की कार्यवाही की गई। अभी–भी कई क्षेत्रों से एनएफएसए की पात्रता सूचियों में नाम जोडने एवं हटाने के संबंध में आपत्तियां विभाग को प्राप्त हो रही हैं, जिसके संबंध में अपील के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के नाम जोडने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु द्विस्तरीय अपील की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

1 <u>नाम जुडवाने हेतु अपील:–</u>

नाम जुडवाने हेतु संबंधित व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना–पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज़ संलग्न कर प्रथम अपील अधिकारी संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(अ) उपखण्ड अधिकारी अपील अथवा स्वप्रेरणा से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर किसी भी अधिकारी के द्वारा प्रकरण/प्रार्थनापत्र की जांच करवा सकेगा। उपखण्ड अधिकारी प्राप्त अपील को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा एवं शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय बोर्ड से अनुमोदन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, स्थानीय निकाय को प्रेषित करेगा।

(ब) अनुमोदन उपरान्त अपील प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज़ों की जांच करते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे, कि वह निष्कासन श्रेणी (विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.08.2014) में तो नहीं है। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी विधिक परीक्षण कर सुस्पष्ट आदेश कारणों सहित जारी करेगा,

जिसके आधार पर सूची में नाम जोडा जा सकेगा। यदि अपील निरस्त की जाती है, तो प्रार्थी जिला कलक्टर (रसद) के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

2 <u>नाम कटवाने हेतु अपीलः–</u>

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की सूचियों में यदि किन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम गलत जोडे गये हैं, तो इसे हटवाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष दस्तावेज़ों सहित निम्नानुसार अपील अथवा स्वप्रेरणा से प्रकरण दायर किया जा सकता हैः–

(अ) जिन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम कटवाने हेतु अपील की जानी है, तो अपीलकर्ता निष्कासन संबंधी आधारभूत दस्तावेज़ात् मय प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ब) अपील प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी (अपीलांट अधिकारी) इसे दर्ज रजिस्टर कर यदि आवश्यक समझे, तो तथ्यात्मक जांच स्वयं करें या करवा सकता है। उसके पश्चात् इसे संबंधित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की वॉर्ड सभा/ग्रामसभा में अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा। अनुमोदन होने के पश्चात् अपील अधिकारी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक परीक्षणोपरान्त अपना निर्णय पारित करेगा। निर्णयानुसार सूचियों में यथा संशोधन किया जायेगा।

3 <u>अपील अधिकारीः–</u>

(अ) प्रथम अपील–उपखण्ड अधिकारी

(ब) द्वितीय अपील–जिला कलक्टर (रसद)

4 <u>अपील दायर करने हेतु मियादः–</u>

अपील दायर करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है। कभी–भी अपील दायर की जा सकती है।

5 निर्धारित प्रक्रिया का पालनः—

अपील प्रस्तुत करने व उस पर निर्णय करने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जावेगा। इस प्रक्रिया के स्थानीय स्तर पर कोई Short cut नहीं अपनाया जावे।

प्रक्रिया का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जावे व जिला योजनाओं हेतु आयोजित वॉर्ड/ग्राम सभाओं में भी इस प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी दी जावे। राज्य सरकार अपेक्षा करती है कि समस्त प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जावे, ताकि पात्र व्यक्ति रह न जाएं व अपात्र व्यक्तियों के नाम बिना विलम्ब सूचियों से हटाये जाएं।

उक्त निर्देश दिनांक 30.10.2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित टास्क फोर्स के निर्णय की पालना में जारी किए जा रहे हैं।

कृपया उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

sd
(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./आवंटन/2013 जयपुर, दिनांक 05.11.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
3 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
6 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
9 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
10 समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, जयपुर।
11 समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
12 समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
13 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

D:\DC (HQ)\Food grain\letter\58